महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या- 26 /2025/1121/छिह्त्तर-1-2025-1697412

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल, 2025

विषय:- प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी/लू की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निरन्तर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु शासनादेश संख्या 23/2025/ 950 (1)/छिहत्तर-1-2025-6सम/2017, 1592446, दिनाक 30 मार्च 2025 द्वारा पूर्व में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश में भीषण गर्मी/ लू-प्रकोप की स्थिति में प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को निरन्तर एवं निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजलापूर्ति प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नाकिंत कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) समस्त जनपदों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों यथा बांधों, जलाशयों एवं नदियों आदि समस्त को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।

(2) जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे एलर्ट पर रखा जाय, ताकि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु ससमय कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(3) प्रदेश में स्थापित समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दशा में नियमित एवं निर्वाध रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अवश्य सुनिश्चित करायी जाए।

(4) जो पाइप पेयजल योजनाएं निर्मित हो गई हैं, अथवा निर्माणाधीन हैं, यथासम्भव उनके माध्यम से ही अथवा उनके स्रोत से ही जल लेकर नियमित रूप से पेयजलापूर्ति करायी जाय।

(5) सार्वजनिक एवं सरकारी परिसरों यथा-तहसील, थाना, अस्पताल, आगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि में घड़े/प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य समुचित व्यवस्था करा कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(6) सामुदायिक शौचालयों में भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

(7) जिन जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए रिजरवायर से जल लिया जा रहा है, उनमें सम्बन्धित जिलाधिकारी तत्काल बैठक कर सुनिश्चित करें कि गर्मी में रिजरवायर में पानी की उपलब्धता बनी रहे और पूरी गर्मी तक पेयजल आपूर्ति बिना बाधा के सुचारू रूप से चलती रहे।

(8) लू के प्रकोप से बचने के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के उपयोग को समझाने तथा प्रबन्धित करने के लिए इनफारमेशन, एज्यूकेशन एवं कम्यूनिकेशन (आई.ई.सी.) के माध्यम से जागरूकता पैदा कर क्षमता निर्माण की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(9) समस्त मण्डलायुक्त उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर बैठक कर कार्यवाहियां सुनिश्चित कराएं।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Anurag Srivastava
(अनुराग श्रीवास्तव)
Date: 24-04-2025 13:16:25
प्रमुख सचिव।

संख्या26 /2025 / 1121 (1)/छिहत्तर-1-2025-1697412, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रवन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

(5) अनु सचिव, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, चौथा तल. अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्र सं० WQ-11034/1/2025-WQ-DDWS-Part (1)-18 दिनांक 09.04.2025 के क्रम में।

(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला विकास अधिकारी (द्वारा जिलाधिकारी)।

(9) मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण), लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में उक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Om Prakash Chauhan
(ओम प्रकाश चौहान)
Date: 24-04-2025 15:56:36
अनु सचिव